

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

निबंधित
ई-मेल

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :- 25/01/2016

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रित को दिनांक-01.08.15 के प्रभाव से विशेष भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप अंतर राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों को दिनांक-01.08.2015 के प्रभाव से बढ़े हुए दर पर राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता मद में माह अगस्त, 2015 से नवम्बर, 2015 तक की अंतर राशि (5000-2000=3000)/-रूपये की दर से) कुल 4,55,28,000/- (चार करोड़ पचपन लाख अठईस हजार) रूपये का आवंटन दिया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	पेंशनधारियों की अनुमानित सं०	वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय पत्रांक-215 दिनांक-14.05.15, प०-321 दि०-23.07.15, प०-553 दि०-27.11.15 एवं प०-02 दि०-07.01.16 के द्वारा आवंटित राशि (2000/- रूपये की दर से अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक)	गत वित्तीय वर्ष का बकाया पेंशन भुगतये राशि का आवंटन	दि०-01.08.15 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप अगस्त 2015, से नवम्बर, 2015 माह की अंतर राशि (5000-2000=3000)/- रूपये की दर से) का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत आवंटित राशि का कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मधुबनी	386	9264000		4632000	13896000
1.	मोतिहारी	103	2472000		1236000	3708000
3.	अररिया	25	600000		300000	900000
4.	सीवान	26	624000		312000	936000
5.	वैशाली	112	2688000		1344000	4032000
6.	औरंगाबाद	27	648000		324000	972000
7.	दरभंगा	240	576000		2880000	8640000
8.	शेखपुरा	4	96000		48000	144000
9.	मुजफ्फरपुर	140	3360000		1680000	5040000
10.	बांका	130	3120000		1560000	4680000
11.	मुंगेर	154	3696000		1848000	5544000
12.	नवादा	25	6000000		300000	900000
13.	मधेपुरा	55	1320000		660000	1980000
14.	बेतिया	63	1512000		756000	2268000
15.	गोपालगंज	29	696000	967950	348000	2011950
16.	सासाराम	69	1656000	1656000	828000	4140000
17.	सारण	92	2208000	500000	1104000	3812000
18.	समस्तीपुर	62	1488000		744000	2232000
19.	बक्सर	19	456000		228000	684000
20.	भागलपुर	255	6120000		3060000	9180000
21.	गया	69	1656000		828000	2484000

22.	सीतामंढी	67	1608000		804000	2412000
23.	लखीसराय	31	744000		372000	1116000
24.	खगड़िया	108	2592000		1296000	3888000
25.	कटिहार	50	1200000		600000	1800000
26.	जहानाबाद	51	1224000		612000	1836000
27.	जमुई	27	648000		324000	972000
28.	भोजपुर	282	6768000		3384000	10152000
29.	नालंदा	104	2496000		1248000	3744000
30.	भभुआ	32	768000		384000	1152000
31.	पूर्णिया	43	1032000		516000	1548000
32.	पटना	692	16608000		8304000	24912000
33.	अरवल	29	696000		348000	1044000
34.	सुपौल	44	1056000		528000	1584000
35.	सहरसा	73	1752000		876000	2628000
36.	किशनगंज	03	72000		36000	108000
37.	बेगूसराय	57	1368000		684000	2052000
38.	शिवहर	16	384000		192000	576000
कुल:-		3,794	9,10,56,000	31,23,950	4,55,28,000	13,97,07,950

(चार करोड़ पचपन लाख अठाईस हजार) रुपये मात्र

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-0401-पेंशन, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं0-एन2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(M)

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-30 पटना, दिनांक-25/01/2016
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-30 पटना, दिनांक-25/01/2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(M)

सरकार के प्रधान सचिव।

22.1.16

ok